

आयालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली





11/19

तारीखरजु: 28.8.19

निर्णय दिनांक:- 11-12-19

उनवान:- रामगोपाल बनाम धर्मसिंह वगै०

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत घारा 9 नियम 9 घारा 151

क्र.सं.	फर्द अहकाम	
28/19	<p>प्रार्थी की और से श्री राजकुमार सिंह राजावत एडवोकेट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत घारा 9 नियम 9 घारा 151 वसिलसिले आदेश दिनांक 16.5.2019 को पारित निर्णय मु०न० 08/2017 उनवान रामगोपाल बनाम धर्मसिंह वगै० किस्म दावा को पुनः सुनवाई बावत दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के साथ प्रस्तुत किया गया। अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणों को नोटिस जारी किया जाकर पत्रावली दिनांक 16.9.19 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली </p>	
16.9.19	<p>प्रार्थी वकील उप०) अर्थात् नं. 1, 3, 4 का बजूद सूचना उपस्थित नहीं है, उनके बिकर एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है अर्थात् नं. 2 का नोटिस विधिवत तालील नहीं हुआ है पुनः नोटिस तलवाना पेश कर/ वास्ते तालवी दि० 9-10-19 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  </p>	
9.10.19	<p>प्रार्थी वकील उपस्थित। अर्थात् नं. 2 का नोटिस तलवाना पेश करने के सिद्ध दिने तलवी वास्ते दिनांक 7.11.19 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  </p>	
7.11.19	<p>प्रार्थी वकील उपस्थित। अर्थात् नं. 2 का नोटिस तलवाना पेश किया। तलवी जारी होकर दिनांक 27.11.19 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  </p>	

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला

फर्द अहकाम

दिनांक 27-11-18 प्रार्थी वकील उपो/ अग्रार्थी न 2 कापगुद पुस्त उपस्थित नहीं है, उनके पिकर एक पक्षीप कार्प की जारी है वाले बहस दिनांक 6-12-18 को पेश हो।

6-12-18 वकुलाय उपस्थित/पीठसन अधिकारी कोर्ट पेशी पत्रावली है। अतः पत्रावली गताबुसार दिनांक 14-12-18 को पेश हो।

14-12-18 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वकील उपस्थित नहीं है कई बार कूक कूक कर आवाज दिलावाई गई। फिर भी प्रार्थी वकील एवं प्रार्थीघान में से कोई भी उपस्थित नहीं है। अतः यह प्रार्थनापत्र आदेश 9 नियम 9 सपठित धारा 151 सीपीसी अदम हाजिरी एवं अदम पैरवी मे खाशिय किया जाता है। पत्रावली फेंसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दारिखत दफतर हो।

उपजिला कलक्टर टोडाभीम (करौली)

